

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प0 9(78)राज-6/2007/12

जयपुर, दिनांक 03-10-17

समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

—: परिपत्र :-

राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 5 में यह प्रावधान है कि कोई भी खातेदार अभिधारी 500 वर्ग मीटर तक क्षेत्र पर निवास गृह या पशु शाला या भण्डार गृह के निर्माण के लिये अपनी कृषि भूमि को बिना कोई संपरिवर्तन प्रभार दिये संपरिवर्तन कराने का हकदार है। इस प्रकार संपरिवर्तित क्षेत्र उसकी खातेदारी अभिधृति में बना रहेगा।

संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 6 में यह प्रावधान है कि इन नियमों के अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, संपरिवर्तन के लिए कोई भी अनुज्ञा वहां अपेक्षित नहीं होगी जहां कोई खातेदार अभिधारी अपनी खातेदारी भूमि पर एक एकड़ से अनधिक क्षेत्र पर सुक्ष्म, लघु उद्योग इकाई, कजावा (छोटा ईट-भट्टा) की स्थापना करना चाहता है अथवा संस्थानिक, चिकित्सा सुविधा या लोकोपयोगी प्रयोजन हेतु उपयोग करना चाहता है। इस प्रकार कार्य में ली गई भूमि उसकी खातेदारी में बनी रहेगी।

राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि खातेदारों द्वारा ऐसी उपयोग में ली गई भूमि पर संपरिवर्तन आदेशों के बिना वित्तीय संस्थाओं से ऋण नहीं मिल पा रहा है।

अतः इस संबंध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि यदि खातेदार अभिधारियों द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु विहित सीमा तक उपयोग में ली गई भूमि पर संपरिवर्तन आदेश जारी कराने के संबंध में आवेदन किया जाता है तो विहित प्राधिकारी द्वारा औपचारिक संपरिवर्तन आदेश जारी किया जायें ताकि ऐसे खातेदार अभिधारी वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकें।

इस संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई खातेदार अभिधारी द्वारा संपरिवर्तन आदेश के स्थान पर भूमि के उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र चाहा जाता है तो ऐसे आवेदन पर संबंधित तहसीलदार खातेदार अभिधारी को नियम 2007 के नियम 5 या 6, जैसी भी स्थिति हो, में वर्णित उद्देश्य हेतु भूमि के उपयोग करने का प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। उपयोग में लाई गई भूमि कृषि भूमि के रूप में ही खातेदारी में बनी रहेगी। इस हेतु प्रार्थना पत्र, प्राप्ति रसीद एवं जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रारूप की प्रति संलग्न है।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(पी0एस0 बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव,

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा. राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग।
4. आयुक्त उद्योग विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग।
6. निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर।
7. राविरा अजमेर।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

प्रारूप आवेदन पत्र.

संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 5 या 6 अन्तर्गत दर्शित उद्देश्य से भूमि उपयोग में लिये जाने संबंधी प्रार्थना पत्र।

प्रति,
तहसीलदार

महोदय

निवेदन है कि मैं/हम..... पिता..... निवासी..... है। मेरी/हमारी कृषि भूमि का खसरा नं. ...
..... क्षेत्रफल है जो ग्राम तहसील में स्थित है।

मेरे/हमारे द्वारा नियम 5 या 6 जो भी लागू है के अनुसार क्षेत्रफल भूमि को अकृषि उपयोग में बिना संपरिवर्तन कराये काम में ले लिया गया है। कृपया इस संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने का श्रम करें।

प्रार्थी

आवेदक का नाम, पता,
मय मोबाईल नं. एवं हस्ताक्षर

स्थान

दिनांक

प्राप्ति रसीद:-

श्री पिता निवासी तहसील द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का अकृषि उपयोग करने संबंधी प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। आवश्यक कार्यवाही कर अवगत कराया जायेगा।

हस्ताक्षर तहसीलदार मय सील

कार्यालय तहसीलदार द्वारा जारी किये जाने वाला प्रमाण पत्र

आवेदक श्री पिता..... निवासी..... से प्राप्त आवेदन एवं भूमि विवरण की जांच की गई। मौका निरीक्षण से ज्ञात है कि आवेदक के खसरा नं. से क्षेत्रफल..... भूमि का उपयोग अकृषि उद्देश्य (उद्देश्य का विवरण) से किया गया है, जो नियम 5 या 6 (जो भी लागू हो) में अनुमत है। कार्य में ली गई भूमि खातेदारी में बनी रहेगी।

हस्ताक्षर तहसीलदार मय सील